संचिका संख्या गृ0/सू0को0-06/12

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या दिनांक

सूचना का अधिकार अंतर्गत आवेदकों द्वारा सूचना की मांग करने पर उन्हें प्रताड़ित करने या झूठे मुकदमों में फंसाने की जांच की व्यवस्था हेतु गृह विभाग में एक कोषांग का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:–

1. सूचना का अधिकार अंतर्गत प्रताड़ित करने संबंधी शिकायतों पर एक माह के अंदर जांचोपरान्त समुचित आदेश पारित कर दिया जाएगा।

2. सभी शिकायतों की जांच जिला के पुलिस अधीक्षक के स्तर पर की जाएगी। वे स्वयं इसकी जांच करेंगे न कि इसे अपने अधीनस्थ को प्रत्यायोजित करेंगे। यदि शिकायतें जिला के पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध की गयी हो तो इसकी जांच क्षेत्र में क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक करेंगे।

3. निष्पादन की समीक्षा समय सीमा के अंदर प्रत्येक 15 दिनों पर विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग द्वारा की जाएगी। समीक्षोपरान्त निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि तक लम्बित मामलों के विषय में संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक को दूरभाष/फैक्स पर शीघ्र संपर्क कर प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु प्रयास करेंगे तथा इस संबंध में संचिका उपस्थापित कर पाक्षिक प्रतिवेदन से प्रधान सचिव, गृह विभाग को अवगत कराएंगे।

4. लम्बित मामलों की समीक्षा प्रधान सचिव, गृह विभाग के स्तर पर प्रत्येक माह में एक बार की जाएगी जिसकी माहवार सूची संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 957 दिनांक 21/3/12

प्रतिलिपि :– सभी जिलाधिकारी/सभी जिला पुलिस अधीक्षक/गृह विभाग के प्रधान सचिव के सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा "जे", सूचना कोषांग, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन,

20.3.12

सरकार के प्रधान सचिव

राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन, चौथा तल्ला, बेली रोड, बिहार, पटना।
दूरभाष– 2215713, 2235059, 2200412, 2200426, फैक्स–2235466

पत्रांकः–1/वि0–06/12/100/रा0सू0आ0 पटना, दिनांकः 15 मार्च, 2012

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन सूचना माँगने वाले कई आवेदकों को लोक सूचना पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी द्वारा विभिन्न तरह से प्रताड़ित करने की शिकायत राज्य सूचना आयोग में प्राप्त होती रही है। आयोग द्वारा इन आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है।

राज्य सरकार ने ऐसे आवेदकों को जो सूचना माँगने के कारण किसी भी रूप में प्रताड़ित किये जाते हैं या उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है, के लिए **एक हेल्प लाईन की स्थापना की है। हेल्प लाईन का नम्बर 0612–2219435 है।** इस पर प्राप्त होने वाले ऐसे सभी शिकायतों को ई–मेल/डाक के माध्यम से गृह विभाग के पास कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा एवं राज्य सरकार का आदेश है कि **प्रताड़ना के संबंधी जितने भी शिकायतें प्राप्त होती है उसके निष्पादन का पर्यवेक्षण डी0जी0पी0 तथा प्रधान सचिव, गृह विभाग स्वयं करेंगे।**

दिनांक 02 मार्च, 2012 को "सूचना के अधिकार–अग्रोन्मुखी संभावनाएँ" पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री ने अपने उद्घाटन संबोधन में इस समस्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए राज्य सूचना आयोग से भी अनुरोध किया कि वे भी ऐसे प्रताड़ण से पीड़ित आवेदकों की सहायता के लिए **एक अनुश्रवण इकाई (Monitoring Cell) की स्थापना** करे।

राज्य सूचना आयोग ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया एवं यह निर्णय लिया कि कोई भी आवेदक जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने के कारण किसी भी रूप में प्रताड़ित किया जा रहा हो या कोई धमकी आदि दी जा रही है इस इकाई में शपथ पत्र के साथ एक आवेदन दे सकते हैं।

इस अनुश्रवण इकाई (Monitoring Cell) के **प्रभारी सहायक श्री दिनेश कुमार होंगे तथा प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त सचिव होंगे। प्राप्त प्रत्येक शिकायत आवेदन को प्रभारी सहायक एवं प्रभारी पदाधिकारी, सचिव के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष उपस्थापित करेंगे।**

यह भी निर्णय लिया गया कि हेल्प लाईन के जरिये जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं, उसकी भी मासिक समीक्षा मुख्य सूचना आयुक्त अपने स्तर पर करेंगे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि **प्राप्त शिकायत को जांच हेतु संबंधित जिला के समाहर्त्ता, आरक्षी अधीक्षक अथवा जरूरत के अनुसार अन्य वरीय पदाधिकारी को भेजा जाएगा एवं उनसे जाँच प्रतिवेदन की मांग की जाएगी। शिकायत सही पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।**

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

इसमें मुख्य सूचना आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(बी0 बी0 पाण्डेय)
सचिव

ज्ञापांकः 4727/रा0सू0आ0 पटना, दिनांकः 15 मार्च, 2012

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी0 बी0 पाण्डेय)
सचिव